


न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालीयर म.प्र

16



पुनःयाचिकांक: 3795/PBR/2015
श्रवण तिथि: 31-12-18

पुनःयाचिकांक-6554/2018/बुरहानपुर/२-२५

1. भगवानदास पिता हेमलाल शाह
2. ईश्वर पिता हेमलाल शाह
दोनों निवासी मोहल्ला बुधवारा शहर, तहसील व जिला बुरहानपुर म.प्र

याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. मगनराव पिता महादेव बावरे निवासी मोहल्ला दौलतपुरा जोशी वाडा शहर, तहसील व जिला बुरहानपुर म.प्र

प्रत्यर्था

दिनांक 31-12-18
को को जिल्हा बुधवारा
का/मो मारा
पुनःयाचिकांक

आवेदनपत्र म.प्र.भु.राजस्व संहिता कि धारा 35(3) के अन्तर्गत

याचिकाकर्तागणों कि ओर से निवेदन है कि:-

31-12-18
50

1. यह कि उक्त प्रकरण श्रीमान के समक्ष दिनांक 20/02/2018 को नियत था।

१०/१० 9-1-19

2. यह कि उक्त दिनांक को याचिकाकर्ता के अधिवक्ता बुरहानपुर मे अन्य प्रकरण मे व्यस्त थे तथा पेशी दिनांक की जानकारी याचिकाकर्तागणों को न होने से वह भी नियत पेशी पर उपस्थित नहि हो सके जिसके कारण श्रीमान न्यायालय द्वारा याचिकाकर्तागणों कि तथा उनके अधिवक्ता कि अनुपस्थिति मे अदम पैरवी मे दिनांक 20/02/2018 को याचिका खारिज कि गई है।

9-1-19
K. K. K.

3. यह कि याचिकाकर्तागणों तथा उनके अधिवक्ता कि उक्त त्रुटि सदभाविक होने से उनकी उक्त त्रुटि को क्षमा करते हुए उक्त प्रकरण को पुनः रिकार्ड पर लिए जाने हेतु यह आवेदनपत्र श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

अतः श्रीमान से प्रार्थन है कि याचिकाकर्तागणों द्वारा प्रस्तुत आवेदनपत्र म.प्र.भु.राजस्व संहिता कि धारा 35(3) का स्वीकार करते हुए प्रकरण को पुनः रिकार्ड पर लिए जाने के आदेश पारित करने कि कृपा करे।

ग्वालीयर
दिनांक:- 31-12-18



श्रीमान हेमलाल शाह
आवेदकगण

भगवानदास हेमलाल शाह

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक रेस्टोरेशन 6554/2018/बुरहानपुर/भूरा

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
07.08.2019	<p>आवेदक अधिवक्ता श्री ओ०पी०शर्मा उपस्थित। उन्हें रेस्टोरेशन पर सुना गया। विचारोपरांत रेस्टोरेशन आवेदन स्वीकार किया जाता है। मूल प्रकरण क्रमांक निगरानी 3795-पीबीआर/2015 पुनः नम्बर पर लिया जाता है। इस प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से यह प्रकरण समाप्त किया जाता है।</p>	<p> अध्यक्ष</p> <p> शेखर</p>